



मि०न० -183/2019

अनवान : -

1. धनपत पुत्र लखमीचंद जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

- वादी

ब न अ म

1. लखमीचंद पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. रविन्द्रसिंह पुत्र लखमीचंद जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वकील वादी
श्री सतवीर बैनीवाल वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 12/03/2020

वादी के दावा के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 1 बीबीएम के खाता सं० 106/106 के मु० न० 72 के किला न० 6, 7, 12 ता 19, 23 ता 25 कुल 3.289 है० नहरी व चक 15 एएमएस के खाता सं० 107/103 के मु० न० 52 के किला न० 16 ता 18, 21 ता 25, मु० न० 53 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13, मु० न० 54 के किला न० 5, 6, 15 कुल 4.9600 है० नहरी 3.9480 है०, बारानी 0.937 है० गै० मु० खाला 0.075 है०, में से लखमीचंद, रामेश्वर, प्रतापसिंह का 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज है व चक 15 एएमएस के खाता सं० 110/106 के मु० न० 54 के किला न० 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 व 24 कुल 2.5300 है० नहरी 1.518 है० बारानी 1.012 है० खातेदारी प्रतिवादी लखमीचंद के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु हैं तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वादभूमि पहले वादी के दादा कालूराम की खातेदारी हुआ करती थी। कालूराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी लखमीचंद के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी लखमीचंद कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी लखमीचंद अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी लखमीचंद के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 2 एवं वादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी धनपत पुत्र लखमीचंद जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की

W)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ताहिद में वादी ने वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत साहूवाला प्रदर्श 1, जमावंदी चक 1बीबीएम खाता सं० 10/106 संवत 2074-77 प्रदर्श 2, जमावंदी चक 15 एएमएस खाता सं० 107/103 संवत 2072-75 प्रदर्श 3, जमावंदी चक 15 एएमएस खाता सं० 110/106 संवत 2072-75 प्रदर्श 4, जमावंदी वाम्बलवास खाता सं० 27 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने मोजा चक 1 बीबीएम के खाता सं० 106/106 के मु० न० 72 के किला न० 6, 7, 12 ता 19, 23 ता 25 कुल 3.289है० नहरी व चक 15 एएमएस के खाता सं० 107/103 के मु० न० 52 के किला न० 16 ता 18, 21 ता 25, मु० न० 53 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13, मु० न० 54 के किला न० 5, 6, 15 कुल 4.9600है० नहरी 3.9480है०, बारानी 0.937है० गै० मु० खाला 0.075है०, में से लखमीचंद, रामेश्वर, प्रतापसिंह का 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज है व चक 15 एएमएस के खाता सं० 110/106 के मु० न० 54 के किला न० 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 व 24 कुल 2.5300है० नहरी 1.518है० बारानी 1.012है० खातेदारी प्रतिवादी लखमीचंद के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 बीबीएम के खाता सं० 106/106 के मु० न० 72 के किला न० 6, 7, 12 ता 19, 23 ता 25 कुल 3.289है० नहरी व चक 15 एएमएस के खाता सं० 107/103 के मु० न० 52 के किला न० 16 ता 18, 21 ता 25, मु० न० 53 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 13, मु० न० 54 के किला न० 5, 6, 15 कुल 4.9600है० नहरी 3.9480है०, बारानी 0.937है० गै० मु० खाला 0.075है०, में से लखमीचंद, रामेश्वर, प्रतापसिंह का 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज है व चक 15 एएमएस के खाता सं० 110/106 के मु० न० 54 के किला न० 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 व 24 कुल 2.5300है० नहरी 1.518है० बारानी 1.012है० खातेदारी प्रतिवादी लखमीचंद के नाम से दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 लखमीचंद का नाम कलमजन कर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय

मे सुनाया गया।



(मुकेश बारैट)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़) (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 -183/2019

अनवान : -

1. धनपत पुत्र लखमीचंद जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
: - वादी

ब न अ म

1. लखमीचंद पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. रविन्द्रसिंह पुत्र लखमीचंद जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 बीबीएम के खाता सं0 106/106 के मु0 न0 72 के किला न0 6, 7, 12 ता 19, 23 ता 25 कुल 3.289है0 नहरी व चक 15 एएमएस के खाता सं0 107/103 के मु0 न0 52 के किला न0 16 ता 18, 21 ता 25, मु0 न0 53 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, मु0 न0 54 के किला न0 5, 6, 15 कुल 4.9600है0 नहरी 3.9480है0, बारानी 0.937है0 गै0 मु0 खाला 0.075है0, में से लखमीचंद, रामेश्वर, प्रतापसिंह का 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज है व चक 15 एएमएस के खाता सं0 110/106 के मु0 न0 54 के किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 व 24 कुल 2.5300है0 नहरी 1.518है0 बारानी 1.012है0 खातेदारी प्रतिवादी लखमीचंद के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 लखमीचंद का नाम कलमजन कर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक ...12/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से

जारी की गई।



(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़